(१९)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
श्रीमती मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1338-दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 03-02-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 54/1993-94 अपील

1- रामटहल पुत्र स्व0रामदास,निवासी ग्राम
बेल्दी तहसील मानपुर जिला उमरिया
2- श्रीमती धुंधीवाई पुत्री रामदास
ग्राम बजरिया तहसील बांधवगढ़
जिला उमरिया
3- श्रीमती तईया पुत्री रामदास ग्राम बहनगवा
तहसील बांधवगढ़ जिला उमरिया
4- श्रीमती मिलतावाई पुत्र रामदास
निवासी उमरिया तहसील व जिला उमरिया ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- मुनीन्द्र कचेर पुत्र नारायण प्रसाद
2- रामस्वरूप पुत्र नारायण प्रसाद
3- सुश्री सोनिया पुत्री नारायण प्रसाद
4- सुश्री तेरसिया पुत्री नारायण प्रसाद
5- सुश्री कुसमना पुत्री नारायण प्रसाद
6- श्रीमती फूलवाई पत्नि नारायणप्रसाद
सभी निवासी ग्राम बेल्दी तहसील मानपुर
जिला उमरिया मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(श्री रमेश मिश्रा अभिभाषक - आवेदक)

<u>आ दे श</u>

(आज दिनांक 01-10- 2015 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/1993-94 अपील में पारित आदेश दि. 3-2-2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बेल्दी स्थित आराजी क्रमांक 82 रकबा 2.40 एकड़ एंव 82/1224 रकबा 3.35 एकड़ पर रामदास एंव नारायण कचेर का नामांतरण अतिरिक्त तहसीलदार बांधवगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-46/88-89 में पारित आदेश दिनांक 31-3-90 से किया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक क्र-1 ने अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के समक्ष अपील क्रमांक 60/89-90 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 30.3.1993 से अपील खारिज की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 54/1993-94 अपील में पारित आदेश दि. 3-2-2007 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित हुआ। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी की प्रचलनशीलता/ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 54/1993-94 अपील में पारित आदेश दि. 3-2-2007 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त व्दारा अतिरिक्त तहसीलदार बांधवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 2/अ-46/88-89 में पारित आदेश दिनांक 31-3-90 को तथा अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 60/89-90 में पारित आदेश दिनांक 30.3.1993 को निरस्त कर उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है। स्पष्ट है कि जो बचाव आवेदकगण इस न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहते हैं उन्हें विचारण न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने एंव स्वयं का दावा प्रमाणित करने

का पूर्ण अवसर प्राप्त है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी आगे सुनवाई योग्य प्रतीत नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सुनवाई योग्य न पाये जाने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 54/1993-94 अपील में पारित आदेश दि. 3-2-2007 यथावत् रखा जाता है।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर